

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म०प्र०)**

कार्यालय दूरभाष नं. : 07652243001

ई-मेल : deanshahdol@gmail.com

फैक्स नं. : 07652-243111

वेबसाइट : dean-gmcshahdol.mp.gov.in

क्रमांक/121/छात्र शाखा/पैरामेडिकल/एम.सी./2021

शहडोल, दिनांक : 23/01/2021

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु विज्ञापन**

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल के पत्र क्रं./ F-1517/कालेज/ 1200382/ 305/ 2021 भोपाल, की अनुमति दिनांक 18.01.2021 के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म०प्र०) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

**I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्त्वपूर्ण तिथियां :-**

आवेदन प्रारम्भ की तिथि	23 जनवरी, 2021से
आवेदन की अंतिम तिथि	05 फरवरी, 2021 को सायं 05:00 बजे तक
काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	11 फरवरी, 2021
काउंसिलिंग स्थल	परीक्षा हॉल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (म.प्र.)

**II. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों का विवरण :-**

क्रं.	पाठ्यक्रम एवं सीट	प्रशिक्षण अवधि	कुल सीट
1	MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (MICRO.) (P.G)	02 वर्ष	05
2	MASTER IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (BIOCHE.) (P.G)	02 वर्ष	05
3	BACHELOR IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN (DEGREE)	03 वर्ष	30
4	BACHELOR IN X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN (DEGREE)	03 वर्ष	20
5	CLINICAL BIOCHEMISTRY (DIPLOMA)	02 वर्ष	20
6	MICROBIOLOGY (DIPLOMA)	02 वर्ष	20
7	MEDICAL LAB. TECHNICIAN (DIPLOMA)	02 वर्ष	20
8	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN (DIPLOMA)	02 वर्ष	20
9	ORTHO. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	01 वर्ष	20
10	O.T. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	01 वर्ष	20
11	HEALTH INSPECTOR (CERTIFICATE)	01 वर्ष	20
12	ANESTHESIA TECHNICIAN (CERTIFICATE)	01 वर्ष	10
13	E.C.G. TECHNICIAN (CERTIFICATE)	01 वर्ष	10

- इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।
- सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
- प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33% प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगी।
- दिव्यांग प्रवर्ग - ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो म.प्र. के मूल निवासी हैं, उनके लिए शासन के नियमानुसार संबंधित संवर्ग में 3% सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज होगा।
- शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

### III. प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण :-

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
2 वर्षीय पी0जी0 कोर्स	1,20350 (रु. 1,15350/-शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रु. 1,15350/-	-
3 वर्षीय स्नातक कोर्स	69,600(रु. 64,600/-शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रु. 64,600/-	रु 64,600/-
2 वर्षीय डिप्लोमा	46,530 (रु. 41,530/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रु. 41,530/-	-
1 वर्षीय प्रमाणपत्र	35,000 (रु. 30,000/- शैक्षणिक शुल्क + रु. 5,000/- सुरक्षा निधि)	-	-

### IV. शैक्षणिक योग्यता :-

- छात्र को 10+2 पद्धति से हायर सेकण्ड्री भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33% प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।
- पी0जी0 कोर्स हेतु आवेदक को Bachelor's in Medical Laboratory Technology (BMLT) में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 50% प्रतिशत एग्नीगेड के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के मामले में प्रवेश के लिए पात्रता प्रतिशत में छूट मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

### अन्य नियम एवं शर्तें :-


- आवेदन शुल्क :-** आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थी रु. 500/- तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 300/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" के नाम देय हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल में दिनांक 05.02.2021 सायं 05 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात जमा किये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2020 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदक को काउंसिलिंग में उपस्थिति होने के लिये रु. 5000/- (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन के पश्चात शेष शैक्षणिक शुल्क 07 दिवस के अंदर ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा करनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रु. 5000/- (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवेदक की होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

9. प्रवेश के उपरान्त छात्रों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय होगा।
10. पी0जी0 कोर्स के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। Bachelor's in Medical Laboratory Technology (BMLT) पाठ्यक्रम के कुल प्राप्त अंक की मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा।
11. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म0प्र0) के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/ मैरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
13. विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी तथा सीटों का आवंटन 12वीं के अंको की मैरिट के आधार पर किया जावेगा। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवार्य म.प्र. भोपाल/ संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेंगी।
14. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मैरिट-कम-आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी :-
  1. एस.टी. श्रेणी
  2. एस.सी. श्रेणी
  3. ओ.बी.सी. श्रेणी
  4. अनारक्षित श्रेणी
 यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-
  - a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - c) अगर एस.टी. और एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
  - d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
15. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय, शहडोल होगा।
16. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रु. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी।
17. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र (वर्तमान वर्ष 2020-21) की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।
18. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 10 पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-
  - I. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र
  - II. 12वीं की अंकसूची(भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ) तथा प्रमाण पत्र एवं अधिष्ठाता

- III. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- IV. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
- V. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
- VI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र ( वित्तीय वर्ष 2020-21 का )
- VII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- VIII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- IX. 10 पासपोर्ट साइज फोटो।
- X. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप

  
23.5.2021  
मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल, म.प्र.)

**पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र: 2020-21**

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज फोटो चस्पा  
करें

प्रति,

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक	बैंक का नाम	राशि

- Name of Candidate in Capital Letter: .....  
आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में) : .....
- लिंग (पु./म.) : .....
- Category (श्रेणी) : (SC/ST/OBC/ UR/EWS).....
- Name of Father in Capital Letter: Shri .....  
पिता का नाम (हिन्दी में) : श्री .....
- Name of Mother in Capital Letter: Smt. ....  
माता का नाम (हिन्दी में) : श्रीमती .....
- जन्म तिथि (Date of Birth ) : अंको में - ..... (dd/mm/yyyy)  
शब्दों में - .....
- Permanent full address in capital letter : .....  
.....Pin Code : .....  
पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में) : .....  
..... पिन कोड : .....
- वर्तमान पता पिन कोड सहित : .....
- आवेदक का मोबाइल नम्बर : .....ई-मेल आई.डी. : .....
- आवेदक का आधार कार्ड नं. : .....समग्र आई.डी. :.....
- क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है? : ..... (हां/नहीं) यदि नहीं तो राज्य का नाम: .....
- क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है? : ..... (हां/नहीं)
- शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) :-

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
12 <sup>th</sup>				Physics			
				Chemistry			
				Biology			
				Total (PCB)			
BMLT (Only for PG-Course)				1 <sup>st</sup> Year			
				2 <sup>nd</sup> Year			
				3 <sup>rd</sup> Year			
				Total (All Sub.)			

14. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन (हां/नहीं/लागू नहीं)			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटिनी समिति द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1	आवेदन शुल्क - डिमाण्ड ड्राफ्ट				
2	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
3	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची				
4	स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (जन्म)				
5	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6	आधार कार्ड				
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र				
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग हेतु)				
9	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)				
10	Gap Certificate (यदि वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				
11	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)				

// घोषणा-पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई क्र. 01 से 14 तक की समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि तक अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और न ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- आवेदक को विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों हेतु एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा।

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

हस्ताक्षर स्कूटिनी समिति :-

1. .... 2. .... 3. ....

हस्ताक्षर प्रवेश समिति :-

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....


शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म०प्र०) द्वारा संचालित  
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पी०जी०/ डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र हेतु  
आवेदन पत्र वर्ष 2020-221

प्रवेश के समय आवेदक को निम्नानुसार प्रारूप में पासपोर्ट साईज कलर फोटो, बाये हाथ के अंगुठे का निशान एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा।

बाये हाथ के अंगुठे का निशान →

पासपोर्ट साईज कलर फोटो →

हस्ताक्षर →



शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म०प्र०) द्वारा संचालित  
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पी०जी०/ डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र हेतु  
आवेदन पत्र वर्ष 2020-2021  
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

**ADMISSION APPLICATION ACKNOWLEDGEMENT 2020-21**

Received admission application form No..... ,  
Amount Rs. .... (CHEQUE/DD/RTGS/NEFT) from (Name of applicant)  
.....on (Date) ..... for admission  
in PG/ Degree/Diploma/Certificate course for session 2020-21.

Receiver's Signature & Name